में जारी हु

20/2/2019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 10/4/2019 को पेश हो।

10/4/19 वकुलाय उपस्थित।
वकील वादी को P/F सम्मन पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजूद पेश नही किये। आगामी तिथि तक P/F सम्मान पेश नही करने पर आदेश-9 (2) के तहत दावा खारिज कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते P/F सम्मन हेतु दिनांक 15/4/2019 को पेश हो।

एस.डी.ओ.
देसूरी

15/4/19 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-3 के वकील उप.। प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की तलबी हेतु Rg AD से P/F सम्मन पेश करने हेतु वकील वादी को पूर्व मे काफी अवसर दिये जा चुके है 200 रू Cost पर अन्तिम समय दिया गया। एक सप्ताह मे P/F सम्मन प्रस्तुत करने की हिदायत भी दी जा चुकी है। उसके बावजूद अधिवक्ता वादी द्वारा वाद मे P/F सम्मन पेश नही किया जाना जाहिर होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है तीन वर्ष से अधिक समय से हिदायत देने के पश्चात् भी प्रतिवादी की तलबी हेतु P/F सम्मन पेश प्रस्तुत नही किया जाना प्रतीत होता है। जिससे प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित हो रहा है। अतः CPC के प्रावधान आदेश (9-(2) के तहत वाद वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फैसला आज दिनांक 15/4/19 को सरे-इजलास मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)